80/2021/597/71-01-2021
पत्रावली सं - 71-1002(002)/28/2021

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक 08 अप्रैल, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/07, दिनॉक 05-04-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व मद में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के वेतनादि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 12,79,43,36,000/- (रू0 बारह अरब उन्यासी करोड़ तैतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र) एवं 4210-पूंजी लेखा में रू0 2,07,00,000/- (रू0 दो सात लाख मात्र) कुल रू0 12,81,50,36,000/- (रू0 बारह अरब इक्यासी करोड़ पचास लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के बाद अवमुक्त किया जाये। साथ ही कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुँच गया, इसका प्रमाणपत्र सर्विस प्रोवाइडर से लेने के बाद अगले माह का वेतन सर्विस प्रोवाइटर का अवमुक्त किया जाये। इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, बाँदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, बाँदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी, बाँदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://saaaeh.pnci

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-

वित्तीय वर्ष–2021-22 अनुदान संख्या–31 (रू0 लाख में)		
ब्योरेवार शीर्षक	**बजट प्राविधान**	**स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
राजस्व लेखा–		
लेखाशीर्षक (13 अंको में)		
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी–		
110–अस्पताल तथा औषधालय–15–मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल		
02–सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा		
01–वेतन	2068.76	2068.76
03–मंहगाई भत्ता	620.63	620.63
04–यात्रा व्यय	1.20	1.20
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60
06–अन्य भत्ते	1.20	1.20
08–कार्यालय व्यय	4.62	4.62
09–विद्युत देय	200.00	200.00
10–जलकर/जल प्रभार	100.00	100.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.50	5.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.50	10.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.70
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.50	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15.00	15.00
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	60.00	60.00
29–अनुरक्षण	40.00	40.00
39–औषधि तथा रसायन	1210.00	1210.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	16.50	16.50
41–भोजन व्यय	88.00	88.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	109.00	109.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10	0.10
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.40	4.40
49–चिकित्सा व्यय	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	140.00	140.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	15.00	15.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	121.00	121.00
योग–(02)	**4858.72**	**4858.72**
03–लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर		
01–वेतन	1803.50	1803.50
03–मंहगाई भत्ता	541.05	541.05
04–यात्रा व्यय	1.00	1.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	6.60	6.60
08–कार्यालय व्यय	4.40	4.40
09–विद्युत देय	1000.00	1000.00
10–जलकर/जल प्रभार	150.00	150.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.00	5.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.20	2.20
13–टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	66.00	66.00
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	150.00	150.00
29–अनुरक्षण	55.00	55.00
39–औषधि तथा रसायन	1452.00	1452.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	27.50	27.50
41–भोजन व्यय	88.00	88.00
42–अन्य व्यय	12.10	12.10
43–सामग्री और सम्पूर्ति	242.00	242.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.15	0.15
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	4.40	4.40
49–चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	70.00	70.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	20.00	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	181.50	181.50
योग–(03)	**5903.41**	**5903.41**
04–न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय, प्रयागराज		
01–वेतन	2074.94	2074.94
03–मंहगाई भत्ता	622.48	622.48
04–यात्रा व्यय	1.00	1.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	2.50	2.50
08–कार्यालय व्यय	4.40	4.40
09–विद्युत देय	2040.00	2040.00
10–जलकर/जल प्रभार	270.00	270.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.40	4.40
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.60	1.60
13–टेलीफोन पर व्यय	0.80	0.80
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.50	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	80.00	80.00
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	100.00	100.00
29–अनुरक्षण	38.50	38.50
39–औषधि तथा रसायन	1452.00	1452.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	22.00	22.00
41–भोजन व्यय	120.00	120.00
42–अन्य व्यय	7.70	7.70
43–सामग्री और सम्पूर्ति	218.00	218.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10	0.10
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47–कम्प्य0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	3.30	3.30
49–चिकित्सा व्यय	22.00	22.00
51–वर्दी व्यय	0.60	0.60
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	120.00	120.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	23.00	23.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	101.08	101.08
योग–(04)	**7334.91**	**7334.91**
05–वक्ष चिकित्सालय, कानपुर		
01–वेतन	393.16	393.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

03–मंहगाई भत्ता	117.95	117.95
04–यात्रा व्यय	0.25	0.25
06–अन्य भत्ते	3.30	3.30
08–कार्यालय व्यय	0.80	0.80
09–विद्युत देय	5.00	5.00
10–जलकर/जल प्रभार	5.00	5.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.70	0.70
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.70	0.70
13–टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7.70	7.70
29–अनुरक्षण	6.60	6.60
39–औषधि तथा रसायन	121.00	121.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	5.50	5.50
41–भोजन व्यय	23.00	23.00
42–अन्य व्यय	4.40	4.40
43–सामग्री और सम्पूर्ति	14.50	14.50
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.25
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	1.10	1.10
49–चिकित्सा व्यय	9.00	9.00
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	25.00	25.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30.80	30.80
योग–(05)	**776.07**	**776.07**
06–अपर इण्डिया सूगर एक्सचेंज प्रसूति चिकित्सालय, कानपुर		
01–वेतन	721.00	721.00
03–मंहगाई भत्ता	216.30	216.30
04–यात्रा व्यय	0.25	0.25
06–अन्य भत्ते	5.50	5.50
08–कार्यालय व्यय	0.70	0.70
09–विद्युत देय	20.00	20.00
10–जलकर/जल प्रभार	20.00	20.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.10	1.10
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.60	0.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13–टेलीफोन पर व्यय	0.30	0.30
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.70	0.70
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.60	6.60
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	20.00	20.00
29–अनुरक्षण	5.50	5.50
39–औषधि तथा रसायन	121.00	121.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4.40	4.40
41–भोजन व्यय	7.00	7.00
42–अन्य व्यय	2.30	2.30
43–सामग्री और सम्पूर्ति	18.00	18.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
47–कम्प्य0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.35	0.35
49–चिकित्सा व्यय	8.00	8.00
51–वर्दी व्यय	0.30	0.30
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	35.00	35.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	5.00	5.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	71.50	71.50
योग–(06)	**1292.46**	**1292.46**
07–महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी से सम्बद्ध चिकित्सालय		
01–वेतन	1978.09	1978.09
03–मंहगाई भत्ता	593.43	593.43
04–यात्रा व्यय	1.00	1.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.55	0.55
06–अन्य भत्ते	5.74	5.74
08–कार्यालय व्यय	4.40	4.40
09–विद्युत देय	600.00	600.00
10–जलकर/जल प्रभार	50.00	50.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.40	4.40
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.60	1.60
13–टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.70
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.50	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00	50.00
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	120.00	120.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29–अनुरक्षण	44.00	44.00
39–औषधि तथा रसायन	1452.00	1452.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	11.00	11.00
41–भोजन व्यय	66.00	66.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	181.50	181.50
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47–कम्प्य0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	2.10	2.10
49–चिकित्सा व्यय	8.00	8.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	136.00	136.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	18.70	18.70
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	121.00	121.00
योग–(07)	**5465.92**	**5465.92**
08–सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ		
01–वेतन	1802.50	1802.50
03–मंहगाई भत्ता	540.75	540.75
04–यात्रा व्यय	1.50	1.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60
06–अन्य भत्ते	11.00	11.00
08–कार्यालय व्यय	6.60	6.60
09–विद्युत देय	600.00	600.00
10–जलकर/जल प्रभार	3.00	3.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.40	4.40
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.70
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	2.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	38.00	38.00
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	3.00	3.00
29–अनुरक्षण	3.00	3.00
29–अनुरक्षण	70.00	70.00
39–औषधि तथा रसायन	1452.00	1452.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	16.00	16.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

41–भोजन पर व्यय	55.00	55.00
42–अन्य व्यय	7.70	7.70
43–सामग्री और सम्पूर्ति	242.00	242.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10	0.10
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.10	1.10
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.25	3.25
49–चिकित्सा व्यय	14.00	14.00
51–वर्दी व्यय	0.70	0.70
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	100.00	100.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	6.00	6.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	180.00	180.00
योग–(08)	**5167.41**	**5167.41**
09–नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर		
01–वेतन	2498.00	2498.00
03–मंहगाई भत्ता	749.40	749.40
04–यात्रा व्यय	1.60	1.60
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.10	1.10
06–अन्य भत्ते	6.60	6.60
08–कार्यालय व्यय	7.00	7.00
09–विद्युत देय	550.00	550.00
10–जलकर/जल प्रभार	5.00	5.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.50	4.50
12–कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	4.00	4.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.40	0.40
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.50	4.50
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00	50.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.80	0.80
29–अनुरक्षण	80.00	80.00
39–औषधि तथा रसायन	1980.00	1980.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	22.00	22.00
41–भोजन पर व्यय	100.00	100.00
42–अन्य व्यय	10.00	10.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	880.00	880.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10	0.10
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफटवेयर का कय	6.60	6.60
47–कम्प्य0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	6.60	6.60
49–चिकित्सा व्यय	16.00	16.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	178.00	178.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	33.95	33.95
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	300.00	300.00
योग–(09)	**7497.16**	**7497.16**
10–संकामक रोग चिकित्सालय कानपुर		
01–वेतन	307.66	307.66
03–मंहगाई भत्ता	92.30	92.30
04–यात्रा व्यय	0.15	0.15
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.05
06–अन्य भत्ते	2.20	2.20
08–कार्यालय व्यय	0.70	0.70
09–विद्युत देय	50.00	50.00
10–जलकर/जल प्रभार	50.00	50.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.38	0.38
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.40	0.40
13–टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	1.00
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	50.00	50.00
29–अनुरक्षण	2.60	2.60
39–औषधि तथा रसायन	33.00	33.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	2.10	2.10
41–भोजन व्यय	4.50	4.50
42–अन्य व्यय	2.30	2.30
43–सामग्री और सम्पूर्ति	6.60	6.60
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.22	0.22
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	0.50	0.50
49–चिकित्सा व्यय	6.00	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	15.00	15.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	15.00	15.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	27.50	27.50
योग(10)–	**670.52**	**670.52**
05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
001–निदेशन तथा प्रशासन		
03–निदेशन		
01–वेतन	618.00	618.00
02–मजदूरी	1.00	1.00
03–मंहगाई भत्ता	185.40	185.40
04–यात्रा व्यय	5.00	5.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
06–अन्य भत्ते	38.00	38.00
07–मानदेय	0.30	0.30
08–कार्यालय व्यय	12.50	12.50
09–विद्युत देय	15.00	15.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.50	8.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.30	3.30
13–टेलीफोन पर व्यय	2.70	2.70
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25.00	25.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00	100.00
18–प्रकाशन	1.60	1.60
19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	5.00	5.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.50	2.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफटवेयर का कय	7.70	7.70
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	14.00	14.00
49–चिकित्सा व्यय	12.00	12.00
51–वर्दी व्यय	1.00	1.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	60.00	60.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	96.00	96.00
योग–(03)	**1237.51**	**1237.51**
05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा–		
03–शिक्षा–13–चिकित्सा स्नातकों के लिए अनिवार्य रोटेंटिग इन्टर्नशिप		
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2000.00	2000.00
योग–	**2000.00**	**2000.00**
15–राजकीय मेडिकल कालेजों में बायोमेडिकल बेस्ट डिस्पोजल		
42–अन्य व्यय	800.00	800.00
योग–15	**800.00**	**800.00**
24–राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़		
01–वेतन	4283.11	4283.11
03–मंहगाई भत्ता	1284.93	1284.93
04–यात्रा व्यय	4.25	4.25
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
06–अन्य भत्ते	27.50	27.50
08–कार्यालय व्यय	4.40	4.40
09–विद्युत देय	500.00	500.00
10–जलकर/जल प्रभार	2.50	2.50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.75	3.75
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	27.00	27.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	6.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	22.00	22.00
18–प्रकाशन	0.20	0.20
19–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय	2.25	2.25
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	1800.00	1800.00
29–अनुरक्षण	6.00	6.00
39–औषधि तथा रसायन	726.00	726.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	11.00	11.00
41–भोजन व्यय	60.00	60.00
42–अन्य व्यय	38.00	38.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	121.00	121.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	5.75	5.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	4.00	4.00
49–चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51–वर्दी व्यय	0.40	0.40
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	127.00	127.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	475.00	475.00
योग(24)–	**9559.75**	**9559.75**
26–राजकीय मेडिकल कालेज बांदा		
01–वेतन	986.00	986.00
03–मंहगाई भत्ता	295.80	295.80
04–यात्रा व्यय	3.30	3.30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.20	2.20
06–अन्य भत्ते	11.00	11.00
08–कार्यालय व्यय	2.75	2.75
09–विद्युत देय	500.00	500.00
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.20	2.20
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	6.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.25	0.25
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	6.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	7.00	7.00
18–प्रकाशन	1.00	1.00
19–विज्ञापन बिकी एवं विख्यापन व्यय	1.10	1.10
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	775.00	775.00
29–अनुरक्षण	0.30	0.30
39–औषधि तथा रसायन	484.00	484.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	13.00	13.00
41–भोजन व्यय	25.00	25.00
42–अन्य व्यय	5.75	5.75
43–सामग्री और सम्पूर्ति	48.50	48.50
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	2.10	2.10
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	2.10	2.10
49–चिकित्सा व्यय	7.00	7.00
51–वर्दी व्यय	0.25	0.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	15.00	15.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	55.00	55.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	605.00	605.00
योग(26)–	**3863.81**	**3863.81**
38–मेडिकल कालेज आगरा		
01–वेतन	3551.10	3551.10
03–मंहगाई भत्ता	1065.33	1065.33
04–यात्रा व्यय	1.65	1.65
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.70	0.70
06–अन्य भत्ते	80.00	80.00
08–कार्यालय व्यय	7.00	7.00
09–विद्युत देय	800.00	800.00
10–जलकर/जल प्रभार	100.00	100.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.00	5.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.75	2.75
13–टेलीफोन पर व्यय	0.90	0.90
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.50	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.00	25.00
18–प्रकाशन	1.10	1.10
19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	0.60	0.60
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	3399.00	3399.00
29–अनुरक्षण	55.00	55.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	3.30	3.30
49–चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51–वर्दी व्यय	0.60	0.60
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	220.00	220.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	340.41	340.41
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	363.00	363.00
योग–(38)	**10047.75**	**10047.75**
39–गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

01–वेतन	4338.83	4338.83
03–मंहगाई भत्ता	1301.65	1301.65
04–यात्रा व्यय	2.20	2.20
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	88.00	88.00
08–कार्यालय व्यय	6.60	6.60
09–विद्युत देय	920.00	920.00
10–जलकर/जल प्रभार	80.00	80.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.40	4.40
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.20	2.20
13–टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.60
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.50	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11.00	11.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	80.00	80.00
18–प्रकाशन	0.70	0.70
19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	0.70	0.70
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	4337.00	4337.00
29–अनुरक्षण	80.00	80.00
42–अन्य व्यय	28.00	28.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिम व्यय	0.20	0.20
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.55	0.55
46–कम्पयूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	6.60	6.60
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	2.60	2.60
49–चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	200.00	200.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	250.00	250.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	363.00	363.00
योग–(39)	**12134.34**	**12134.34**
40–मेडिकल कालेज प्रयागराज–		
01–वेतन	3403.86	3403.86
03–मंहगाई भत्ता	1021.16	1021.16
04–यात्रा व्यय	2.10	2.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06–अन्य भत्ते	5.50	5.50
08–कार्यालय व्यय	6.60	6.60
09–विद्युत देय	480.00	480.00
10–जलकर/जल प्रभार	50.00	50.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00	3.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.80	0.80
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	3.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
18–प्रकाशन	0.70	0.70
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.70	0.70
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2832.50	2832.50
29–अनुरक्षण	88.00	88.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.60	0.60
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	1.50	1.50
47–कम्प्यूटर अन0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
49–चिकित्सा व्यय	25.00	25.00
51–वर्दी व्यय	0.60	0.60
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	180.00	180.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	300.00	300.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	500.00	500.00
योग–(40)	**8927.83**	**8927.83**
41–मेडिकल कालेज मेरठ		
01–वेतन	2910.75	2910.75
02–मजदूरी	11.00	11.00
03–महंगाई भत्ता	873.23	873.23
04–यात्रा व्यय	2.20	2.20
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60
06–अन्य भत्ते	46.00	46.00
08–कार्यालय व्यय	6.60	6.60
09–विद्युत देय	500.00	500.00
10–जलकर/जलप्रभार	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.60	2.60
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.10	2.10
13–टेलीफोन पर व्यय	0.80	0.80
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	110.00	110.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	4.00	4.00
18–प्रकाशन	0.70	0.70
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.60	0.60
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	3131.85	3131.85
29–अनुरक्षण	70.00	70.00
42–अन्य व्यय	33.00	33.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	0.01	0.01
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.40	4.40
49–चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
51–वर्दी व्यय	0.70	0.70
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	66.79	66.79
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	220.00	220.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	660.00	660.00
योग–(41)	**8692.84**	**8692.84**
42–मेडिकल कालेज झांसी		
01–वेतन	2369.00	2369.00
03–मंहगाई भत्ता	710.70	710.70
04–यात्रा व्यय	1.75	1.75
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60
06–अन्य भत्ते	45.00	45.00
08–कार्यालय व्यय	3.50	3.50
09–विद्युत देय	600.00	600.00
10–जलकर/जल प्रभार	100.00	100.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.35	1.35
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.35	1.35
13–टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.70
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00	100.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	1.50	1.50
18–प्रकाशन	0.70	0.70
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.70	0.70
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2501.80	2501.80
29–अनुरक्षण	44.00	44.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.70	2.70
49–चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	57.50	57.50
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	190.00	190.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	800.00	800.00
योग–(42)	**7563.26**	**7563.26**
43–मेडिकल कालेज गोरखपुर		
01–वेतन	4774.05	4774.05
03–मंहगाई भत्ता	1432.22	1432.22
04–यात्रा व्यय	2.60	2.60
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60
06–अन्य भत्ते	15.00	15.00
08–कार्यालय व्यय	11.25	11.25
09–विद्युत देय	2000.00	2000.00
10–जलकर/जल प्रभार	200.00	200.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	7.00	7.00
12–कार्यालय फर्नीचर उपकरण	7.00	7.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	10.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	22.00	22.00
18–प्रकाशन	1.00	1.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00	1.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	3000.00	3000.00
29–अनुरक्षण	110.00	110.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

39–औषधि तथा रसायन	700.00	700.00
42–अन्य व्यय	22.50	22.50
43–सामग्री और सम्पूर्ति	50.00	50.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.70	0.70
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफटवेयर का क्रय	7.00	7.00
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7.00	7.00
49–चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51–वर्दी व्यय	1.00	1.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	940.82	940.82
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	756.34	756.34
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	900.00	900.00
योग–(43)	**14995.39**	**14995.39**
45–डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए स्थापित कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर		
01–वेतन	95.45	95.45
03–मंहगाई भत्ता	28.64	28.64
04–यात्रा व्यय	0.30	0.30
06–अन्य भत्ते	0.20	0.20
08–कार्यालय व्यय	0.60	0.60
09–विद्युत देय	5.00	5.00
10–जलकर/जल प्रभार	11.00	11.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.40	0.40
13–टेलीफोन पर व्यय	0.25	0.25
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.50	0.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.01	0.01
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
19–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय	0.50	0.50
29–अनुरक्षण	6.60	6.60
42–अन्य व्यय	1.60	1.60
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.01	0.01
46–कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.60	0.60
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.10	1.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

49–चिकित्सा व्यय	1.00	1.00
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	4.00	4.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	0.01	0.01
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	11.00	11.00
योग–(45)	**179.43**	**179.43**
47–कतिपय मेडिकल कालेज और जिला अस्पताल में कृत्रिम अवयव केन्द्र (विकलांग कार्यशाला) की स्थापना		
01–वेतन	143.17	143.17
03–मंहगाई भत्ता	42.95	42.95
06–अन्य भत्ते	4.50	4.50
42–अन्य व्यय	1.00	1.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
49–चिकित्सा व्यय	1.50	1.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	5.00	5.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	0.01	0.01
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	8.00
योग–(47)	**206.64**	**206.64**
73–राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा केन्द्र का संचालन–		
01–वेतन	816.89	816.89
03–मंहगाई भत्ता	245.07	245.07
06–अन्य भत्ते	21.00	21.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.01	0.01
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1700.00	1700.00
55–मकान किराया भत्ता	25.00	25.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	25.00	25.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1545.00	1545.00
योग–(73)–	**4377.97**	**4377.97**
74–राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ		
01–वेतन	525.54	525.54
03–मंहगाई भत्ता	157.66	157.66
04–यात्रा व्यय	1.10	1.10
06–अन्य भत्ते	28.00	28.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

08–कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09–विद्युत देय	500.00	500.00
10–जलकर/ जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00	6.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00	50.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.80	0.80
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	6.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1.60	1.60
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	510.00	510.00
29–अनुरक्षण	1.10	1.10
39–औषधि तथा रसायन	726.00	726.00
40–औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा–	13.00	13.00
41–भोजन पर व्यय	40.00	40.00
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	60.00	60.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	11.00	11.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.75	2.75
49–चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	5.00	5.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	10.00	10.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	484.00	484.00
योग–(74)–	**3165.76**	**3165.76**
77–एम0डी0 नेत्र चिकित्सालय, इलाहाबाद		
01–वेतन	109.05	109.05
03–मंहगाई भत्ता	32.72	32.72
06–अन्य भत्ते	14.88	14.88
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	6.39	6.39
योग–(77)–	**163.04**	**163.04**
78–राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नशा विमुक्ति केन्द्र		
01–वेतन	15.00	15.00
03–मंहगाई भत्ता	4.50	4.50
06–अन्य भत्ते	1.50	1.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
योग–(78)–	**21.01**	**21.01**
80–मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज		
01–वेतन	0.01	0.01
06–अन्य भत्ते	0.01	0.01
योग–(80)–	**0.02**	**0.02**
04–प्रशिक्षण		
01–मेडिकल कालेजों में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यकम–		
01–वेतन	645.35	645.35
03–मंहगाई भत्ता	193.61	193.61
04–यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	34.00	34.00
08–कार्यालय व्यय	2.00	2.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	1.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.01	0.01
29–अनुरक्षण	5.00	5.00
39–औषधि तथा रसायन	5.00	5.00
42–अन्य व्यय	0.50	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.10
49–चिकित्सा व्यय	3.50	3.50
51–वर्दी व्यय	0.15	0.15
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	25.00	25.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	12.00	12.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.00	7.00
योग–(01)	**940.43**	**940.43**
14–राजकीय मेडिकल कालेजों में पुस्तक एवं जर्नल्स की व्यवस्था		
42–अन्य व्यय	100.00	100.00
योग–(14)	**100.00**	**100.00**
कुल योग–राजस्व	**127943.36**	**127943.36**
पूंजी लेखा–		
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–		
29–सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा		
25–लघु निर्माण कार्य–	20.00	20.00
30–लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय, कानपुर		
25–लघु निर्माण कार्य–	20.00	20.00
31–न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद–		
25–लघु निर्माण कार्य–	20.00	20.00
32–वक्ष चिकित्सालय, कानपुर		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
33–अपर इण्डिया सुगर एक्सचेज प्रसूति चिकित्सालय, कानपुर		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
34–महरानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
35–सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
36–नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर		
25–लघु निर्माण कार्य–	20.00	20.00
37–संकामक रोग चिकित्सालय, कानपुर (क्षय रोग कक्ष)		
25–लघु निर्माण कार्य–	5.00	5.00
38–मेडिकल कालेज, आगरा		
25–लघु निर्माण कार्य–	20.00	20.00
39–गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
40–मेडिकल कालेज, प्रयागराज		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
41–मेडिकल कालेज, मेरठ		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
42–मेडिकल कालेज, झांसी		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
43–मेडिकल कालज, गोरखपुर		
25–लघु निर्माण कार्य–	12.00	12.00
45–डिग्री पाठ्यकमों के लिए स्थापित नर्सिंग कालेज, कानपुर		
25–लघु निर्माण कार्य–	10.00	10.00
कुल योग पूंजी लेखा	**207.00**	**207.00**
कुल योग–राजस्व+पूँजी–	**128150.36**	**128150.36**

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।